फैक्स

सेवा में:– होम कन्ट्रोल/डीजीपी कन्ट्रोल, लखनऊ/इण्ट कन्ट्रोल/अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ.प्र.लखनऊ/अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ/आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर/पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर।

प्रेषक :– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

पत्र संख्याः– एस0एम0सी0–सरा0कार्य/2022 दिनॉकः अगस्त 10, 2022

:: सराहनीय कार्य ::

थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में शातिर वांछित लुटेरा अभियुक्त गोली लगने से घायल/गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 10,500 रुपये नगद, 01 अदद अंगूठी पीली धातु (जिस पर सफेद नग लगा है, कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये), वादी का मोबाइल फोन, अवैध असलहा कारतूस एवं मोटरसाइकिल बिना नम्बर बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर में शातिर व वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नई मण्डी के कुशल पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक श्री सुशील कुमार सैनी थाना नई मण्डी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.08.2022 को थाना नई मण्डी पर नियुक्त उ0नि0 श्री अजीत शर्मा, उ0नि0 श्री बालिस्टर त्यागी, है0का0 260 रोहित तेवतिया, कां0 1003 रजनीश, कां0 395 अंकित, कां0 308 कपिल, कां0 1661 योगेश के थाने से रवाना होकर हाइवे पर रथेडी कट नसीरपुर रोड पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी मोटरसाइकिल पर 01 व्यक्ति मेरठ की तरफ से आता दिखाई दिया। जिसे टार्च की रोशनी से रुकने का इशारा किया परन्तु वह व्यक्ति नहीं रुका और हडबडाकर तेजी से भागने लगा। उ0नि0 श्री बालिस्टर त्यागी द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचना देते हुए पुलिस टीम द्वारा उस व्यक्ति का पीछा किया गया, तो वह व्यक्ति हाइवे से बझेडी जंगल चकरोड को ओर मोटरसाइकिल मोडकर भागने लगा। कुछ दूर जाकर हड़बड़ाहट में उस व्यक्ति की मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गयी। वह व्यक्ति पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करता हुआ गन्ने के खेत की तरफ भागने लगा। बदमाश द्वारा किए गए फायर से पुलिस टीम सिखलाए गए तरीके से बाल बाल बची। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग की गयी। कुछ समय पश्चात बदमाश की तरफ से फायरिंग बन्द हो गयी तथा एक व्यक्ति के कराहने की आवाज सुनाई दी। पुलिस टीम द्वारा पास जाकर देखा तो एक बदमाश जमीन पर पडा है, जिसके बांये घुटने के नीचे खून बह रहा है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त को प्राथमिक उपचार देकर नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम **शहजाद पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी म0नं0 757 मन्दिर वाली गली मिमलाना रोड थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर** बताय। अभियुक्त के कब्जे से 10,500रुपये नकद, 01 अंगूठी पीली धातू, 01 तमंचा मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 मोटरसाइकिल बजाज कैलिबर बिना नम्बर प्लेट रंग ग्रे ब्लैक बरामद हुई। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त थाना नई मण्डी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 398/22 धारा 395/452/342/34/120बी/412 भादवि व मु0 अ0सं0 402/22 धारा 147/149/307 भादवि में वांछित अभियुक्त है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर मु0अ0सं0 409/22 धारा 307 भादवि, मु0अ0सं0 410/22 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0 411/22 धारा 414 भादवि बनाम अभियुक्त शहजाद उपरोक्त पंजीकृत किये गये। पंजीकृत अभियोगों की विवेचना उ0नि0 श्री शिवदत्त सिंह द्वारा की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–</u>

1. शहजाद पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी म0नं0 757 मन्दिर वाली गली मिमलाना रोड थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः–

1. मु0अ0सं0 398/22 धारा 395/452/342/34/120बी/412 भादवि थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।
2. मु0 अ0सं0 402/22 धारा 147/149/307 भादवि थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।
3. मु0अ0सं0 409/22 धारा 307 भादवि थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।
4. मु0अ0सं0 410/22 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।
5. मु0अ0सं0 411/22 धारा 414 भादवि थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरणः–

- 10,500रुपये नकद 01 अंगूठी पीली धातू
- 01 तमंचा मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल बजाजं कैलिबर बिना नम्बर प्लेट रंग ग्रे ब्लैक

गिरफ्तार करने वाली टीम :–

- उ0नि0 श्री अजीत शर्मा थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।
- उ0नि0 श्री बालिस्टर त्यागी थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।
- है0कां0 260 रोहित तेवतिया थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।
- कां0 1003 रजनीश थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।
- कां0 395 अंकित थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।
- कां0 308 कपिल थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।
- कां0 1661 योगेश थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर।

नोटः– घायल/गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद थाना नई मण्डी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 398/22 धारा 395/452/342/34/120बी/412 भादवि व मु0 अ0सं0 402/22 धारा 147/149/307 भादवि में वांछित अपराधी है। अभियुक्त द्वारा घटना किये जाने का जुर्म इकबाल किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर बाद उपचार जेल भेजा जाएगा।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
मुजफ्फरनगर